

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)**

New Delhi, the

15/12
November, 1984.

**NOTIFICATION
INCOME-TAX**


No. 6-73 (F.No.203/74/83-JTA-II) : In continuation of this Office Memorandum No.4907 (F.No.203/69/75-JTA-II) dated 3.6.1981, it is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Science & Technology, New Delhi the Prescribed Authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Institution" subject to the following conditions:-

- i) That the Sangit Mahabharati, Bombay will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.
- ii) That the collected donations under section 35(1)(ii) of the Income-tax Act during the period of approval will be spent for carrying out scientific research projects such as Jawari Processing Technique, Table Syah application technique & reverse application technique, Seasoning process for instrument, and Electronics Metronome etc.
- iii) That the said Institution will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.
- iv) That the said Institution will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and balance sheet showing its assets and liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.

INSTITUTION

"Sangit Mahabharati, Bombay".

This notification is effective for a period from 7.3.1984 to 31.3.1985.



(G. S. D. Gove)

Under Secretary to the Government of India.

भारत के राजपत्र के भाग 11 खण्ड 3 (1) में प्रकाशनाथ

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 15/12 1984

अधिसूचना
आयकर

सं० 6073 [फा०सं० 203/74/83-जा०क०नि०-11] इस कार्यालय की दिनांक 3.6.1981 की अधिसूचना सं० 4007 [फा०सं० 203/69/79-जा०क०नि०-11] के त्तिस्ति में, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए पत्रद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा 11 के खंड 11 के प्रयोजनों के क्षेत्र में "संस्था" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् :-


1. यह कि संगीत महाभारती, बम्बई वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उसके द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा चलेगा ।
2. अनुमोदन अधि के दौरान, आयकर अधिनियम की धारा 35 [11] के अधीन एकत्रित दान की राशियों को, ज्वारी प्रोसेसिंग टेक्नीक, टेक्ल स्पाही एप्लिकेशन टेक्नाक और रिचर्स एप्लिकेशन टेक्नीक, सीजनिंग प्रोसेस फार एस्ट्रुमेंट, और इलेक्ट्रॉनिक मेट्रोमोम, आदि जैसी वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजनाओं को पूरा करने के लिए खर्च किया जाएगा ।
3. यह कि उक्त संस्था अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्रश्न में प्रस्तुत करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधिसूचित किया जाए और उसे सुचित किया जाय ।

4. यह कि उक्त संस्था अपनी कुल आय तथा व्यय दशाति हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां, देनदारियां दशाति हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति, प्रतिवर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा ।

संस्था

"संगीत महाभारती, लम्बई"

यह अधिसूचना 7.3.1984 से 31.3.1985 तक के लिए प्रभावी है ।



॥ गिरीश दवे ॥

अवर सचिव, भारत सरकार

रामा